>

Title: Need to revise 'minimum wages' on periodic basis corresponding to price rise with a view to check poverty and unemployment in the country- laid.

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग को परिभाषित करने के लिए नए मापदंडों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार ने देश में गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी को परिभाषित करने के लिए 13 नए मानकों को अधिसूचित किया है। न्यूनतम मजदूरी गरीबी मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है। बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी के मापदण्ड में भी समानुपात बढ़ोतरी करने के साथ-साथ नए मानकों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पहले गरीबी के नीचे की श्रेणी की परिभाषा करने के लिए 13 नए मानकों को अधिसूचित किया है, जैसे आवास, कपड़े, खाद्य, सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी आदि। यह देखने में आया है कि पंचायतों में हुए अध्ययन के अनुसार सूची अनुमोदन के लिए दूसरी ग्रामसभा की बैठक तक नहीं होती और जहां सूची पढ़ी जाती है वहां गांव वालों को यह नहीं बताया जाता कि उन्हें मिलने वाले अंकों का अर्थ क्या है। कितने अंक मिलने पर वे गरीबी की रेखा के नीचे संरक्षण प्राप्त करेंगे और कितने अंक मिलने पर नहीं। एक तरह से अगर अब भी इस प्रक्रिया में ग्राम सभा को शामिल नहीं किया गया तो एक बार फिर गरीबों की सूची में सम्पन्न और प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व होगा। इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी के मापदण्ड में भी समानुपात बढ़ोतरी की जानी चाहिए जिससे तय समय सीमा में गरीबी एवं बेरोजगारी को पूर्ण रूप से मिटाया जा सके तथा गरीब वर्ग के लोगों को बीपीएल का संरक्षण प्राप्त होने के साथ-साथ गरीब वर्ग का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित हो सके।